क्षतिपूरक वनीकरण हेतु आवश्यक धनराशि

पुखराया- घाटमपुर – बिंदकी मार्ग (एस0एच0-46) के किमी0 54.00 से किमी0 82.200 के मध्य चार लेन चौडीकरण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 25.3065 हे0 के दुगुने अर्थात 50.613 हे0 अवनत वन भूमि में क्षतिपूरक **वृक्षारोपण हेतु कूकेड़ी वन ब्लाक 11.919 हे0, पत्योरा वन ब्लाक 10.050 हे0, मानेपुर वन ब्लाक 10.532 हे0 एवं रिठवावन ब्लाक 18.112 हे0** का चयन किया गया है। जिसमें कंजी, नीम, अर्जुन प्रासपिस आदि पौधों का रोपण प्रस्तावित है।

मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 526/11-सी क्षतिपूरक वनीकरण, दिनांक 09.09.2016 से जारी सीलिंग दर के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सुरक्षा खाई सहित आवश्यक धनराशि की गणना निम्न है-

भूमि का प्रकार:- बीहड़ **श्रम दर:-** रु0 174.00 प्रतिदिन

प्रति हे0 पौध संख्या – 1100 (200 पौध एवं 300 बुवाई नाली, 3 पौध प्रति बुवाई नाली)

क्र0 सं0	रेंज का नाम	वर्ष	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रु0 में)	धनराशि (रु0 में)
1	अमौली	प्रथम वर्ष	अग्रिम मृदा कार्य	प्रति हे0	50.613	32800.00	1660106.400
2	"	द्वितीय वर्ष	वृक्षारोपण कार्य	प्रति हे0	50.613	17930.00	907491.090
3	"	तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	50.613	15422.00	780553.686
4	"	चतुर्थ वर्ष	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	50.613	16936.00	857181.768
5	"	पंचम वर्ष	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	50.613	18348.00	928647.324
6	"	षष्टम वर्ष	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	50.613	7147.00	361731.111
7	"	सप्तम वर्ष	पंचम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	50.613	20032.00	1013879.616
8	"	अष्टम वर्ष	षष्टम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	50.613	9072.00	459161.136
9	"	नवम वर्ष	सप्तम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	50.613	9639.00	487858.707
10	"	दशम वर्ष	अष्टम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	50.613	3060.00	154875.780
11	"	एकादशम वर्ष	नवम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे0	50.613	3230.00	163479.990
योग					50.613		7774966.608
या							7750000.00

23.3.17

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
फ़तेहपुर

कार्यालय, ,मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक -526 /11-सी- क्षतिपूरक वनीकरण, दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 09, 2016

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, उत्तर प्रदेश।

विषय- वर्ष 2016-17 के लिए क्षतिपूरक वनीकरण की दरों का निर्धारण।

संदर्भ- नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक-2115/11सी-क्षतिपूरक वनीकरण, दिनांक 01.04.2016

महोदय,

वर्ष 2016-17 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी दरें वृक्षारोपण की सामान्य पारम्परिक प्रचलित प्रणाली के लिए निर्धारित है। उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में 8' से 12' के पौधों का रोपण कराया जाना होता है तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार वृक्षारोपण कार्यो का अनुरक्षण 7 से 10 वर्षों तक कराया जाना है ताकि वृक्षारोपण की शत प्रतिशत सफलता सुनिश्चित की जा सके। अतः उक्त दरों में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया। इस परियोजनार्थ अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुये याचक विभागों से क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य के लिये धनराशि मॉगे जाने के प्रयोजन से विभिन्न माडलों हेतु क्षतिपूरक वनीकरण की सीलिंग दरों का निर्धारण एतदानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जाता है। ये दरें श्रमिकों की मजदूरी दर रू0 174 /- प्रति मानव दिवस पर निर्धारित की गई है। उक्त दरें तत्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगी।

उक्त आदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के अनुमोदन के उपरान्त जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरविन्द गुप्ता) 9/9/16

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग-2, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।

(अरविन्द गुप्ता) 9/9/16

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

उ0प्र0, लखनऊ।

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु सीलिंग दरें (श्रमिक मजदूरी दर रू0 174/– प्रति मानव दिवस पर आधारित)

कमांक	वृक्षारोपण का प्रकार	वर्षवार धनराशि का विवरण (धनराशि रू0 में)											योग
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	षष्टम वर्ष	सप्तम वर्ष	अष्टम वर्ष	नवम वर्ष	दशम वर्ष	एकादशम	
		अग्रिम मृदा कार्य	वृक्षारोपण	अनुरक्षण प्रथम	अनुरक्षण द्वितीय	अनुरक्षण तृतीय	अनुरक्षण चतुर्थ	अनुरक्षण पंचम	अनुरक्षण षष्टम	अनुरक्षण सप्तम	अनुरक्षण अष्टम	अनुरक्षण नवम	
1	सामान्य भूमि (1100 पौध प्रति है0)	26780	24050	16841	16614	17998	7173	20061	9072	9639	3060	3230	154518
2	ऊसर भूमि (2000 पौध प्रति है0)	55050	56350	19998	21387	23169	7299	30321	10512	11169	4680	4940	244875
3	बीहड़ भूमि (1100 पौध प्रति है0)	32800	17930	15422	16936	18348	7147	20032	9072	9639	3060	3230	153616
4	पठारी भूमि (1100 पौध प्रति है0)	34000	16030	15048	16795	18194	6981	19855	9072	9639	3060	3230	151904
5	8 से 12 फुट पौध ब्लाक वृक्षारोपण आर0सी0सी0 खम्भे व कार्टेदार तार से घेरबाड़ सहित सामान्य भूमि (सिंचाई हेतु बोरिंग प्राविधान) 625 पौध प्रति है0	57780	94240	27940	27902	24230	9583	10267	8312	–	–	–	260254
6	8 से 12 फुट पौध ब्लाक वृक्षारोपण आर0सी0सी0 खम्भे व कार्टेदार तार से घेरबाड़ सहित ऊसर भूमि (सिंचाई हेतु बोरिंग प्राविधान) 625 पौध प्रति है0	63200	96600	27940	27902	24230	9583	10267	8312	–	–	–	268034
7	8 से 12 फुट पौध ब्लाक वृक्षारोपण आर0सी0सी0 खम्भे व कार्टेदार तार से घेरबाड़ सहित पठारी भूमि (सिंचाई हेतु बोरिंग प्राविधान) 625 पौध प्रति है0	55070	94430	27940	27902	24230	9583	10267	8312	–	–	–	257734
8	8 से 12 फुट पौध ब्लाक वृक्षारोपण आर0सी0सी0 खम्भे व कार्टेदार तार से घेरबाड़ सहित सामान्य भूमि (ट्रैक्टर द्वारा सिंचाई) 625 पौध प्रति है0	50390	104580	43120	38882	28650	9513	10192	8232	–	–	–	293559
9	8 से 12 फुट पौध ब्लाक वृक्षारोपण आर0सी0सी0 खम्भे व कार्टेदार तार से घेरबाड़ सहित ऊसर भूमि (ट्रैक्टर द्वारा सिंचाई) 625 पौध प्रति है0	55800	110400	43120	38882	28650	9513	10192	8232	–	–	–	304789
10	8 से 12 फुट पौध ब्लाक वृक्षारोपण आर0सी0सी0 खम्भे व कार्टेदार तार से घेरबाड़ सहित पठारी भूमि (ट्रैक्टर द्वारा सिंचाई) 625 पौध प्रति है0	47680	104780	43120	38882	28650	9513	10192	8232	–	–	–	291049

Contd ---- P. 2

0_ 3U_ु0, लखनऊ

1	मार्ग के किनारे पंक्ति वृक्षारोपण (तारबाड़–आर0सी0सी0 खम्भे व काटेंदार तार) 625 पौध प्रति है0	296050	210470	43945	43100	33220	14924	15990	8232	–	–	–	665931
12	बिकगार्ड वृक्षारोपण (प्रति पौध)	3268		396	348	71	17	19	20	–	–	–	4139
13	आर0सी0सी0 गार्ड वृक्षारोपण (प्रति पौध)	2068		383	142	71	17	18	20	–	–	–	2719

नोट:–

1. यह सीलिंग दरें उच्चतम है। इनसे कम दरों पर कार्य कराया जाना निषेध नहीं है परन्तु वृक्षारोपण उच्चकोटि के होने चाहिए।

2. उक्त दरों में महंगाई व मुद्रास्फीति (Cost esclation) को ध्यान में रखते हुए तृतीय वर्ष (प्रथम अनुरक्षण) से प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से अनुमानित वृद्धि को भी समावेशित कर लिया गया है।

3. उक्त दरों में क्रम संख्या–1 से 4 में अनुरक्षण पंचम तथा क्रम से 5 से 13 में अनुरक्षण तृतीय में सिलवीकल्चरल प्रुनिंग तथा कटाई/छटाई कार्य का प्राविधान किया गया है। प्रुनिंग एक तकनीकं कार्य है जिसको क्षेत्रीय वनाधिकारी/उप प्रभागीय वनाधिकारी की देखरेख में आवश्यकतानुसार ही इस प्रकार कराया जाए जिससे पौधों व वृक्षारोपण को कोई क्षति न हो।

4. उक्त दरों में क्रम संख्या–1 से 4 में:–

(i) वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु सामान्य, ऊसर व बीहड भूमि के अग्रिम मृदा कार्य में सुरक्षा खाई तथा पठारी भूमि में पत्थर बाडी का कार्य सम्मिलित है।

(ii) ऊसर भूमि में वृक्षारोपण की दरों में प्रथम वर्ष में बोरिंग कार्य (10 है0 पर एक बोरिंग) व सिंचाइ हेतु प्लास्टिक पाइप का क्रय एवं जिप्सम तथा द्वितीय वर्ष में गोबर की खाद व बालू सम्मिलित है।

(iii) बीहड भूमि की दरों में भूमि संरक्षण का कार्य प्रथम वर्ष में सम्मिलित है।

(iv) तृतीय वर्ष में 10 प्रतिशत बीटिंग अप कार्य सम्मिलित है।

(v) सीलिंग दरों में पौधों का मूल्य सम्मिलित है।

5. उक्त दरों में क्रम संख्या–5 से 7 में प्रथम वर्ष में बोरिंग कार्य (10 है0 पर एक), इंजन पम्प सेट क्रय (20 से 50 है0 पर एक) तथा सिंचाई हेतु प्लास्टिक पाइप (प्रति है0 25 मी0) एवं द्वितीय वर्ष में पौध का औसत मू0 रू0 70/– प्रति पौध का प्राविधान है।

6. उक्त दरों में क्रम संख्या–8 से 11 में द्वितीय वर्ष में पौध का औसत मू0 रू0 70/– प्रति पौध का प्राविधान है।

7. क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना स्थल विशिष्ट के अनुरूप होनी चाहिए। यदि कतिपय कारणों से क्षतिपूरक वनीकरण योजना तैयार करते समय वर्षवार सीलिंग दरों से विचलन होता है, तो भी सीलिंग दर की कुलयोग की धनराशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8. बीहड़ एवं पठारी क्षेत्रों में जल एवं मृदा संरक्षण कार्य हेतु अलग से योजना का निरूपण स्थल विशेष के आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय वन संरक्षक/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन के उपरान्त ही किया जा सकेगा। तराई क्षेत्र जहॉ जल स्तर (वाटर टेबिल) ऊचॉ है को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में भी बीहड एवं पठारी क्षेत्रों के अनुसार जल संरक्षण के कार्य आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय वन संरक्षक/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन के उपरान्त अवश्य किये जाये।

9. अन्य व्यय अन्तर्गत अग्नि निरोधक उपायों के अन्तर्गत क्षेत्र में घास कटाई, वृक्षारोपणों के फोटोग्राफ, जी0पी0एस0 पॉलीगन फाइल बनाना आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण बोर्ड की पुनः पेंटिंग, बीहड क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त बन्धे की मरम्मत, अस्थाई श्रमिक हट की मरम्मत इत्यादि व्यय सम्मिलित होंगे।

10. समस्त व्यय वृक्षारोपण की सफलता के अनुरूप देय होगा तथा वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (Wage) भी वृक्षारोपण की सफलता से लिंक (Link) रहेगा।

11. पॉचवे वर्ष से सुरक्षा श्रमिक द्वारा सुरक्षा के साथ–साथ निराई–गुडाई आदि कार्य भी किए जाएंगे।

12. उक्त सीलिंग दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।